आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Industries and Commerce, Industries Department, Kerala

Entrepreneur Support Scheme (ESS)

केरल सरकार विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जमीन, भवन, मशीनरी और दूसरी स्थायी संपत्ति में लगाए पैसे के आधार पर एक बार की पूंजी सब्सिडी देती है। बैंक लोन लेना जरूरी नहीं है।

क्या मिल सकता है

सामान्य श्रेणी की इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश का 15%, अधिकतम Rs 30 लाख। युवा (18 से 45 साल), महिला, SC/ST और प्रवासी केरलवासी उद्यमियों को 25%, अधिकतम Rs 40 लाख। प्राथमिकता वाले क्षेत्र, इडुक्की, वायनाड, कासरगोड और पथानामथिट्टा जिलों की इकाइयों और मान्य संस्थानों से नई तकनीक लेने पर 10% अतिरिक्त (हर एक में अधिकतम Rs 10 लाख)। एक इकाई को कुल अधिकतम Rs 40 लाख। टर्म लोन मंजूर होने पर उत्पादन से पहले पात्र राशि का आधा, अधिकतम Rs 3 लाख, मिल सकता है।

किसके लिए है

केरल के वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम जिनके पास उद्यम पंजीकरण है।

मुख्य शर्तें

- उद्यम केरल में विनिर्माण करता हो और उसके पास उद्यम पंजीकरण हो।
- सेवा उद्यम और नकारात्मक सूची वाली इकाइयाँ, जैसे आरा मिल, शराब कारखाने और मेटल क्रशर, आवेदन नहीं कर सकतीं।
- निवेश सहायता के लिए उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन करें। विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण में लगे अतिरिक्त निवेश पर भी मदद मिलती है।
- तकनीक सहायता के लिए नई तकनीक से उत्पादन शुरू होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करें।
- इकाई को उत्पादन शुरू होने से पाँच साल तक चालू रखना होगा।
- तय राशि का 30% सूक्ष्म उद्यमों के लिए रखा जाता है।

दस्तावेज़

- हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म
- प्रमोटर का पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस (युवा उद्यमी के लिए जन्म तारीख वाला)
- SC/ST उद्यमियों के लिए जाति प्रमाण पत्र
- स्वयं सत्यापित प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रोप्राइटरशिप न होने पर आवेदन का प्रस्ताव
- Rs 1100 आवेदन शुल्क की रसीद

आवेदन कैसे करें

1. उद्योग और वाणिज्य निदेशालय के पेज पर ESS दिशानिर्देश और चेकलिस्ट पढ़ें।
2. ESS पोर्टल पर पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन करें, चेकलिस्ट के दस्तावेज अपलोड करें और Rs 1100 शुल्क भरें।
3. स्टार्टअप सहायता जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मंजूर करते हैं। निवेश सहायता पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति फैसला करती है।
4. जिले के फैसले से संतुष्ट न हों तो राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र आवेदन में मदद करता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://industry.kerala.gov.in/index.php/schemes-mainmenu/entrepreneur-support-scheme-schemes
आधिकारिक आवेदन: https://ess.industry.kerala.gov.in/login
आधिकारिक PDF: https://industry.kerala.gov.in/images/pdf/ESSGuidelines_1.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-entrepreneur-support-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।